गुप्त/स्टिंग आपरेशन पर परामर्श पत्र-सह-प्रश्नावली

1. प्रौद्योगिकी प्राइवेट और वृत्तिक क्षेत्रों पर आघात करने के विभिन्न तरीके प्रस्तुत कर रही है । प्राइवेट अस्तित्वों की सहायता से मीडिया भ्र-टाचार, अनैतिकता, शो-ाण, लोक पद धारण करने वाले व्यक्तियों, प्रभावशाली व्यक्तियों और कारोबारियों द्वारा विधिसम्मत नियम के निरादर को उद्‌घाटित करने के लिए स्टिंग आपरेशन करने के लिए ऐसे तकनीकी अवसर का प्रभावी उपयोग कर रहा है । तथापि, यह ध्यान में आया है कि कुछ महत्वपूर्ण आपराधिक मामलों में, मीडिया स्टिंग आपरेशन करके और नियमित रूप से इसे टी. वी. चैनलों पर प्रसारित करके भावनाओं के साथ खेलने और वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए घटनाओं को सनसनीखेज बनाने के हेतुक द्वारा प्रोत्साहित हो रही हैं । इसकी प्रवृत्ति विधि प्रवर्तन अभिकरणों को अधिक उलझन में डाल कर किसी विशि-ट दिशा में आम राय बनाने की है । ऐसी घटनाओं की कमी नहीं है जहां दो-ी और निर्दो-ा के बीच विनिश्चय के लिए तत्क्षण एस एम एस मत गणना कराए जा रहे हैं । किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी आपराधिक मामले में मीडिया द्वारा ऐसी समानान्तर कार्यवाहियां दो-िता के बारे में आम जनता में सशक्त प्रभाव पैदा कर सकती हैं और ऐसे नि-पक्ष विचारण और ग्रंथिमुक्त अधिमत को प्रभावित कर सकती है जो संवैधानिक प्रत्याभूति का एक भाग है ।

2. एक ओर, स्टिंग आपरेशन समाज के महत्वपूर्ण हित के तथ्यों से संबंधित जानकारी का प्रचार करके लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत बना कर लोक हित की सेवा करता है जो साधारण अनुरोधों या प्रयासों द्वारा प्राप्त करना आसान नहीं है । संपूर्ण विश्व के अभिलेख प्रकट करते हैं कि स्टिंग आपरेशन के उपयोग के बिना, जनता कई आर्थिक और राजनैतिक दुराचारों के बारे कभी न जान पाती । दूसरी ओर, हाल की कुछ घटनाओं से मीडिया और प्राइवेट अस्तित्वों द्वारा चैनल दर्शकों की संख्या बढ़ाने, राजनैतिक दुश्मनी निकालने, निगमित हितों को नुकसान पहुंचाने, ख्याति बिगाड़ने, आदि के लिए स्टिंग आपरेशन का दुरुपयोग किया जाना साबित होता है । ऐसे स्टिंग आपरेशन, जो दूरस्थ हेतुक के लिए किए जाते हैं, न केवल स्टिंग में फंसे व्यक्ति और संस्था को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि संस्थाओं में लोगों की आस्था को डॉंवाडोल करने और समाज में कटुता का आम वातावरण पैदा करने की क्षमता रखते हैं ।

3. इस समय हमारे पास उपलब्ध विधि केवल केबिल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 और इसके अधीन विरचित नियम है । यह अधिनियम और नियम उस युग का उत्पाद है जब स्टिंग आपरेशन टेलीविजन परिदृश्य पर नहीं आया था और इसमें स्टिंग आपरेशन से संबंधित कोई प्रत्यक्ष उपबंध है । इसे अधिनियम के कुछ उपबंधों का प्रयोग स्टिंग आपरेशन से सहबद्ध दुराचारों को रोकने के लिए किया जा सकता है क्योंकि धारा 6 में निर्दि-ट कार्यक्रम संहिता के साथ पठित धारा 3 और धारा 5 अधिकथित करती है कि किसी केबिल सेवा पर ऐसे किसी कार्यक्रम को प्रसारित/पुनःप्रसारित नहीं किया जा सकता है जिसमें अश्लील, अपमानजनक, जानबूझ कर, मिथ्या और विचारोत्तेजक व्यंगोक्ति और आधा सच जैसी कोई बात है ।

4. तथापि, कुछ टी. वी. चैनल इन उपबंधों की अवज्ञा करते पाए गए हैं । हाल ही में, पति-पत्नी, प्रेमी, आदि की हठधर्मिता या विश्वासघात के रहस्योद्‌घाटन के लिए चालू रियल्टी शो के उपकरण के रूप में स्टिंग आपरेशन का उपयोग कर मर्यादा की सीमाएं पार करने के टेलीविजन चैनलों के दृ-टांत प्रकाश में आए हैं । आम पुरु-ा और महिला के प्राइवेट जीवन को दर्शाने वाले ऐसे स्टिंग आपरेशन सार्वजनिक अपराधों के रहस्योद्‌घाटन के लिए नहीं किए जाते हैं और कोई लोक हित या लोक प्रयोजन पूरा नहीं करते । इसके अतिरिक्त, कई दृ-टांतों में प्रकाश में आए छलयोजित और छलरचित स्टिंग आपरेशन ने मीडिया की छवि को कलंकित किया और निशाने पर आए व्यक्तियों की ख्याति को असुधार्यतः नुकसान पहुंचाया । इस प्रकार के स्टिंग आपरेशन उपलब्ध प्राइवेट क्षेत्र में अनुचित रूप से घुसकर तकनीक का लाभ उठा रहे हैं और तद्द्वारा एकान्तता के अधिकार का अतिक्रमण कर रहे हैं और सभ्यता को पीछे ढकेल रहे हैं ।

5. अतः यह मूल्यांकन करने की आवश्यकता महसूस हुई कि क्या टी. वी. चैनल प्राइवेट अपराधों को प्रकट करने के अपने सामाजिक दायित्व को पूरा कर रहे हैं? ऐसे कलई खोलने द्वारा किसके हितों की पूर्ति हो रही है? कब तक उन्हें एकान्तता के अधिकार के उल्लंघन की अनुज्ञा दी जा सकती है, जब कलई खोलने से किसी विधिसम्मत लोक हित की पूर्ति नहीं होती? यदि स्टिंग आपरेशन किसी तरीके से लोक हित की पूर्ति करता है, तो गुप्त आपरेटर की क्या सीमा हो सकती है? क्या वे स्वयं अपराध का पता लगाने के लिए अपराध के पक्षकार हो सकते हैं?

6. राज्य सभा की याचिका समिति ने तारीख 12 दिसम्बर, 2008 की अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित तर्कसंगत मताभिव्यक्तियां व्यक्त कीं :ï

ñ समिति यह महसूस करती है कि इलेक्ट्रानिक मीडिया को तब तक स्टिंग आपरेशन के माध्यम से एकत्रित सूचना को प्रसारित नहीं करना चाहिए जब तक अभिकथित अभियुक्त का दो-न साबित करने के लिए निश्चायक रूप से पर्याप्त साक्ष्य न हो ; यदि लोक हित में यह अपेक्षित हो, अभिकथित अभियुक्त के बयान को भी साथ-साथ और समान महत्व के साथ प्रसारित किया जाना चाहिए जहां किसी स्टिंग आपरेशन को मिथ्या और गढ़ा हुआ पाया जाए वहां मीडिया कंपनी को निर्दो-न व्यक्ति को हुए नुकसान के अनुरूप कठोर दण्डात्मक दण्ड दिया जाना चाहिए .... समिति का यह मत है कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र के स्वच्छ कार्यकरण के लिए आवश्यक है ; तथापि, उत्तरदायित्व से ही लोकतंत्र आता है । प्रेस की स्वतंत्रता मीडिया पर भी दायित्व थोपती है । अतः, समिति मीडिया से व्यक्ति की स्वतंत्रता जिसके अंतर्गत एकान्तता का उसका अधिकार है, का संरक्षण कर लोकतंत्र की सफलता में सहयोग देने की प्रत्याशा करती है । समिति यह मत व्यक्त करती है कि यद्यपि जानने के अधिकार का स्थान एकान्तता के अधिकार के स्थान से पूर्वतर है फिर भी एकान्तता के अधिकार पर प्रेस की स्वतंत्रता की आड़ में तब तक दखल नहीं दिया जाना चाहिए जब तक यथार्थ लोक हित न होता हो । अतः, समिति न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दोनों अधिकारों के बीच मध्यम मार्ग अपनाने की वकालत करती है । ò

6.1 नीति शास्त्र की समिति ने भी स्टिंग आपरेशन ïóआपरेशन चक्रव्यूहô से संबंधित तारीख 24 फरवरी, 2006 को अपनी कार्यवाही में ऐसे गुप्त आपरेशनों के लिए नियामक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के एकान्तता के अधिकार पर दखल करने की संभावना है और आगे यह मत व्यक्त किया कि समिति यह महसूस करती है कि इलेक्ट्रानिक मीडिया को भी अपने कार्यकरण में न्याय और नि-पक्ष भूमिका सुनिश्चित करने के लिए स्व-नियामक तंत्र बनाना चाहिए ।

7. भारत सरकार ने एक प्रस्तावित विधि ï प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक, 2007 के अधीन एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण अर्थात् भारतीय प्रसारण विनियामक प्राधिकरण गठित करने का प्रस्ताव किया है । मार्च, 2008 में पुनरीक्षित संबद्ध अन्तर्वस्तु संहिता में विस्तार से यह अधिकथित है कि क्या प्रसारित किया जा सकता है और क्या प्रसारित नहीं किया जा सकता, किन्तु इसे मीडिया अभिकरणों और ऐसे चैनल मालिक जो स्व-विनियमन के पक्षधर हैं, से कठोर विरोध झेलना पड़ा । बहुत हाल ही के समाचारपत्र रिपोर्ट के अनुसार, माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि रा-ट्रीय प्रसारण प्राधिकरण - एक कानूनी निकाय का गठन किया जाएगा किन्तु यह अंतर्वस्तु का विनियमन नहीं करेगा । तथापि, सूचना और प्रसारण मंत्री ने आक्षेपणीय प्रकाशनों/प्रदर्शनियों को रोकने के लिए कतिपय गैर-कानूनी और अनौपचारिक मार्गदर्शक सिद्धांतों और मशीनरी की सलाह दी है । उदाहरणार्थ, इलैक्ट्रानिक कार्यक्रम संहिता, विज्ञापन संहिता, केबिल टी. वी. नेटवर्क विनियमन अधिनियम, आदि के उपबंध के किसी अतिक्रमण के लिए विभिन्न एफ.एम. और टी. वी. चैनलों की अंतर्वस्तु की मानीटरिंग करने के लिए मीडिया मानीटरिंग केन्द्र का गठन किया गया है ।

7.1 यद्यपि, स्व-विनियामक तंत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए समाचार प्रसारण एसोसिएशन बनाया गया और तदनुसार अक्तूबर, 2008 में समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण का गठन किया गया । समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण प्रख्यात सेवानिवृत्त न्यायाधीश, प्रसारण से जुड़े प्रख्यात संपादकों और विधि, शिक्षा, चिकित्सा, साहित्य, लोक प्रशासन, आदि के क्षेत्रों में विशे-ा ज्ञान रखने वाले प्रख्यात व्यक्तियों से मिलकर बना है । इसने प्रसारणकर्त्ताओं और टेलीविजन संवाददाताओं को लागू होने वाली आचार संहिता और प्रसारण मानक विरचित किया है । ñप्रसारकò से ऐसे व्यक्तियों का कोई संगम/संगठन या समाचार प्रसारण एसोसिएशन का सदस्य होते हुए निगमित अस्तित्व होना परिभा-ित है जो ऐसे किसी सैटेलाइट या केबिल टी.वी. चैनल का स्वामित्व रखता है, प्रबंध करता है और नियंत्रण करता है जिसमें अनन्यतः समाचार और नवीनतम घटना अंतर्वस्तुएं या संपुट सन्निहित हैं और उक्त पद के अंतर्गत संपादक सम्मिलित हैं । उक्त प्राधिकरण, परिवाद या अन्यथा के आधार पर आचार संहिता के अभिकथित अतिक्रमण पर जांच करने की कार्यवाही आरंभ कर सकेगा और संबद्ध प्रसारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् लेखबद्ध रूप में कारण अभिलिखित करने के पश्चात् प्रसारक को चेतावनी दे सकेगा या निन्दा कर सकेगा या जुर्माना

अधिरोपित कर सकेगा और/या ऐसे प्रसारक की अनुज्ञप्ति के रद्दकरण/प्रतिसंहरण के लिए संबद्ध प्राधिकरण को सिफारिश कर सकेगा । स्वविनियमन के सिद्धांतों का स्वीकृत प्रयोजन ñऐसे चिरस्थायी मूल्यों द्वारा जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हों, टेलीविजन पत्रकारिता की वृत्ति को सशक्त करना और यह सुनिश्चित करना कि संतुलित और व्यापक पत्रकारिता भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान देò होना बताया गया है । स्टिंग आपरेशन के संबंध में आचार संहिता के पैरा 9 में यह इस प्रकार कहा गया है :ï

ñमार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में, समाचार चैनलों के लिए दर्शकों को किसी समाचार कथानक का व्यापक विस्तार देने के प्रयास में स्टिंग और गुप्त आपरेशन अंतिम उपाय होना चाहिए । समाचार चैनल स्टिंग आपरेशन करने के साधन के रूप में लिंग और फूहड़पन, किसी स्टिंग आपरेशन की रिकार्डिंग में किसी न्याय्य साधन के रूप में स्वापक औ-ाधि और मनःप्रभावी पदार्थ का उपयोग करने या हिंसा, अभित्रास या भेदभाव का कोई कार्य करने की अनुज्ञा नहीं देंगे । ....समाचार चैनल मूलभूत नियम के रूप में यह सुनिश्चित करेंगे कि स्टिंग आपरेशन दो-ापूर्ण कार्य या अपराधिता का निश्चायक साक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में ही किया जाए और यह कि यथावत् फुटेज के दृश्यांकनों में जानबूझ कर इस तरह परिवर्तन या संपादन या हस्तक्षेप न हो जो स्थिति में परिवर्तन करता है या सत्य को अयथार्थ रूप से प्रस्तुत करता है या सच्चाई के एक ही भाग को प्रस्तुत करता है ।ò

7.2 क्या ऐसा स्व-विनियामक तंत्र पर्याप्त और प्रभावी साबित हुआ है और क्या यह स्टिंग आपरेशन समेत प्रसारण की अंतर्वस्तुओं को विनियमित करने और विधि के अधीन समुचित कार्रवाई करने के लिए किसी कानूनी तंत्र की आवश्यकता का निराकरण करेगा, एक बहस का वि-ाय है ।

8. यू. के. में टेलीविजन और रेडियो के क्षेत्रीय और सैटेलाइट दोनों पर पाठ, केबिल और अंकीय सेवा प्रसारण में स्तर और नि-पक्षता दोनों के विनियमन के लिए कानूनी निकाय के रूप में प्रसारण मानक आयोग विद्यमान है । प्रसारण अधिनियम, 1996 द्वारा स्थापित इसका कार्य : (i) मानक और नि-पक्षता से संबंधित आचार-संहिता बनाना; (ii) शिकायतों पर विचार

करना और विचाराधीन करना (iii) प्रसारण के मानकों और नि-पक्षता पर मानीटर, अनुसंधान और रिपोर्ट तैयार करना है । इसक पास प्रसारण सामग्री और लिखित कथनों के आलेखनों को मांगने की शक्ति है । यह सुनवाई भी कर सकता है । इसके विनिश्चय नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं और प्रसारकों को परिणाम के रूप में ऐसी कोई कार्रवाई, जो की गई हो, को रिपोर्ट करना अनिवार्य है । यह संसद के प्रति जवाबदेह है और प्रत्येक व-र्ा अपने कार्य की पूरी रिपोर्ट प्रकाशित करता है । इसका वित्त पो-ाण सरकार और प्रसारकों द्वारा किया जाता है और इसके खातों की संवीक्षा रा-ट्रीय संपरीक्षा कार्यालय के अधीन है ।

9. स्टिंग आपरेशन के वि-ाय पर न्यायालयों से विनिश्चित निर्णयज विधि ने अनुज्ञेयता की वैधता और विस्तार पर कोई स्प-ट सिद्धांत या एकरूप विचार अधिकथित नहीं किया है । तथापि, लोकहित के विचार, एकान्तता और स्वतंत्रता के अधिकार समेत निशाने पर आए व्यक्तियों के मूल अधिकारों को मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता जैसे ज्ञेय सिद्धांत कतिपय व्यापक सिद्धांत हैं । स्टिंग आपरेशन द्वारा अभिप्राप्त गढ़े गए और भ्रामक प्रकाशन/प्रदर्शन में अंतर्निहित अवैधता की सार्वभौमिक निन्दा की जाती है, भारत के न्यायालयों ने यह माना है ।

10. भारत का विधि आयोग, ऐसे भावोत्तेजक और तार्किक अभिवाकों के साथ तीक्ष्ण और मत वैभिन्यता जो स्टिंग आपरेशन की अनुज्ञेयता की बाबत उठाए गए हैं, को ध्यान में रखते हुए मीडिया प्रतिनिधियों, गैर-सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, वृत्तिक निकायों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, कर्मचारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों समेत आम जनता से मुख्यतः इस बाबत तैयार की गई प्रश्नावली पर सुझाव मांग रहा है : क्या किसी विनियामक विधि के माध्यम से स्टिंग आपरेशन के दुरुपयोग के नियंत्रण की आवश्यकता है? एकान्तता के अधिकार के अनापेक्षित आक्रमण को नियंत्रित करने के लिए ऐसे विनियमन की प्रकृति और विस्तार क्या होनी चाहिए? स्टिंग आपरेशन की अंतर्वस्तु के प्रकाशन/प्रसारण को रोकने के लिए किस प्रकार का तंत्र होना चाहिए जिससे कि स्टिंग आपरेशन के गढ़े हुए पाठ को नियंत्रित किया जा सके और व्यापक लोक हित को संरक्षित किया जा सके?

11. इस प्रश्नावली का उत्तर 30 नवम्बर, 2010 तक आयोग की वेबसाइट पर दिए गए ई-मेल पते पर या आयोग के डाक पते पर भेजा जा सकता है ।

प्रश्नावली

1. मीडिया द्वारा किए गए ऐसे स्टिंग आपरेशन जो किसी मामले के अभियुक्त के भ्र-ट और आपराधिक क्रियाकलाप की कलई खोलते हैं, अभियुक्त के दो-न की व्यापक लोक धारणा पैदा करता है और किसी टेलीविजन/इंटरनेट माध्यम पर नियमित प्रसारण ऐसी लोक धारणा को मजबूत करता है और हो सकता है कि यह ऐसे विचारण न्यायालय न्यायाधीश को प्रभावित करे जिसे दबाव और अवरोधों से मुक्त वातावरण में स्वतंत्र रूप से विचारण करना है । न्यायालयों द्वारा नि-पक्ष और वस्तुनि-ठ विचारण किए जाने के लिए क्या राज्य को ऐसे मामले में स्टिंग आपरेशन की पोल के प्रसारण/प्रकाशन को प्रतिनिद्ध या विनियमित करना चाहिए?

2. आर. के. आनन्द वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि मीडिया न्यायालयाधीन मामले से संबंधित किसी प्रकार की रिपोर्ट प्रकाशित करने या लंबित विचारण मामले में अपनी पसन्द से स्टिंग आपरेशन करने के लिए स्वतंत्र नहीं है । यह भी मत व्यक्त किया गया था कि धोखा पर आधारित किसी स्टिंग पर अधिक कठोरता के साथ विधिक निर्बंधन लागू होगा । कमोबेश इसी प्रकार, उच्चतम न्यायालय ने मनु शर्मा से संबंधित हाल ही के मामले में यह टिप्पणी की कि मीडिया द्वारा विचारण और शिक्षाप्रद मीडिया के बीच विभेद को हमेशा बनाए रखा जाए । मीडिया द्वारा विचारण से विशे-तकर उस प्रक्रम पर बचना चाहिए जब संदिग्ध व्यक्ति संवैधानिक संरक्षण का हकदार है । उसके अधिकारों के आक्रमण को अनुज्ञेय ठहराया जाना अनिवार्य है । अतः, क्या आप किसी विचाराधीन मामले में इसके प्रसारण/प्रकाशन को निर्बंधित कर या ऐसे मामले में पूर्ण प्रतिबंध लगाकर किसी स्टिंग को विनियमित करने का सुझाव देते हैं?

3. क्या ऐसे स्टिंग आपरेशन पर कोई रोक लगायी जानी चाहिए जहां भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, स्वापक ओ-धि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, आदि जैसे कानूनों के अधीन उन अधिनियमों के के अधीन विनिर्दि-ट अपराधों का पता लगाने और अन्वे-ण करने के लिए

कोई विशे-ा तंत्र सृजित है? या इन अभिकरणों को स्टिंग आपरेशन करने के लिए सशक्त किया जाए?

4. (क) समाज में व्याप्त भ्र-टाचार या समाज-विरोधी क्रियाकलापों की कलई खोलने की दृ-िट से और किसी अन्य दूरस्थ/ आक्षेपणीय हेतु के बिना, व्यक्ति (जिसके अंतर्गत मीडिया प्रतिनिधि है) किसी लोक सेवक या किसी दलाल के विरुद्ध स्टिंग आपरेशन करता है । क्या वह ऐसे स्टिंग आपरेशन के अनुक्रम में किए गए अवैध कार्यों के लिए संभव अभियोजन के प्रति उन्मुक्ति का उपभोग कर सकता है/कर सकती है?

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा विनिश्चित एक मामले में यह मत व्यक्त किया गया कि ऐसे मामले में रिश्वत देने वाले को उन्मुक्ति उपलब्ध है जहां वह रिश्वत देने के लिए अनिच्छुक है और लोक सेवक को फंसाने के लिए पुलिस के पास जाता है/जाती है । क्या भ्र-टाचार निवारण अधिनियम की धरा 24 के अधीन उपबंधित उन्मुक्ति की व्याप्ति को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि स्टिंग आपरेशन करने वाले पत्रकारों आदि को संरक्षण प्राप्त हो सके?

5. यह मत व्यक्त किया गया है कि कुछ स्टिंग आपरेशन किसी लोक हित को पूरा किए बिना लोगों के प्राइवेट जीवन में पर्याप्त हस्तक्षेप करते हैं और ऐसे आपरेशन एकमात्र अपने दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए टेलीविजन चैनलों द्वारा संचालित किए जाते हैं । इस संदर्भ में, क्या ऐसे स्टिंग अनुसन्धेय पत्रकारिता कहा जाएगा जब, प्रथमतः, लोक हित में स्टिंग की कोई सुस्प-ट सुसंगतता नहीं थी और द्वितीयतः, क्या अपराध करने के लिए स्प-ट बहकाव था?

6. यदि स्टिंग आपरेशन का भ्रामक या लापरवाह रीति से छलयोजित या विरुपित या प्रकाशित होना पाया जाता है, तो क्या इसे कोई सुभिन्न अपराध माना जाए? यदि हां, किस प्रकार का दण्ड उचित होगा? क्या आप किसी अन्य शास्ति का सुझाव देते हैं?

7. यह कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के एकान्तता के अधिकार और स्टिंग आपरेशन द्वारा पूरे किए जाने वाले संभावित लोक हित के बीच उचित संतुलन होना चाहिए? यह सुनिश्चित करने के लिए आप क्या सुझाव देते हैं कि स्टिंग आपरेशन सारतः एकान्तता के अधिकार का उल्लंघन न करे और इस प्रकार, इसका हस्तक्षेप कम से कम हो? इस बाबत विधि द्वारा कौन-कौन से निर्बंधन अधिरोपित किए जा सकते हैं? आपके अनुसार किन बातों से एकान्तता के अधिकार का अनापेक्षित और सुस्प-ट आक्रमण गठित हो सकेगा ?

8. (क) कृपया अपना मत व्यक्त करें कि लोकहित या एकान्तता के उल्लंघन की कौन सी कसौटी स्टिंग आपरेशन की वैधता या अनुज्ञेयता का निर्णय करने के लिए प्रमुख कसौटी होनी चाहिए । किसी विनियामक विधि, यदि अधिनियमित की जाती है, द्वारा उनमें से किस बात पर अधिक महत्व दिया जाए? यदि लोकहित की कसौटी व्यापकतः पूरी होती है तो क्या विनियामक विधि को सुसंगत घटक के रूप में एकान्तता के अधिकार के आक्रमण के अनुज्ञेय विस्तार और मात्रा पर विचार करना चाहिए?

(ख) क्या आप सोचते हैं कि कलई खोलने के साधन और तरीके असंगत होने चाहिएं जहां कहीं कुछ मात्रा में या अन्यथा लोकहित की पूर्ति होती है?

9. स्कूल अध्यापक मामले के झूठे स्टिंग आपरेशन में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि न्यायालय यह विश्वास करता है कि सभी टी.वी.चैनल/मीडिया कदम उठाएंगे और अपने संवाददाताओं को ऐसे किन्हीं कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने या प्ररूपित करने से रोकें जो बहकावेपन या गढ़े हुए और अनुचित हस्तक्षेप पर आधारित हैं । न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया कि टी. वी. संवाददाताओं और संपादको कों स्व-विनियामक आचार-संहिता

तैयार करने के लिए कदम उठाने चाहिए । यह उपलक्षित करता है कि ऐसी आचार-संहिता प्रभावी रूप से प्रवर्तनयोग्य होनी चाहिए । यदि ऐसा कोई प्रभावी तंत्र इलेक्ट्रानिक मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा नहीं स्थिर किया जाता है तो क्या राज्य को विनियामक तंत्र लाने के लिए कदम नहीं उठाना चाहिए?

10. उक्त मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रेरित स्टिंग आपरेशन में स्कूल अध्यापक को फंसाने के लिए स्कूल का छात्र बनकर मीडिया जगत में नाम कमाने के इच्छुक एक उदीयमान पत्रकार द्वारा उपयोग की गई युक्ति को अस्वीकार किया । उसने उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय और ऐसे छिपाए गए कैमरे के उपयोग को न्यायोचित ठहराने के लिए जब यह उस घटना, जो होने वाली है, को कैद कर रहा है चाहे वह कैमरा वहां है या नहीं और अपराध किए जाने को प्रभावित करने के लिए फंसाने के व्यवहार की निन्दा करने के लिए एक सुविख्यात टी. वी. पत्रकार के लेख का अवलम्ब लिया जिससे कि सरकार अभियोजन चला सके । उच्च न्यायालय ने यू. एस. उच्चतम न्यायालय के निर्णय की मताभिव्यक्तियो को अनुमोदित करते हुए निर्दि-ट किया कि सरकार को किसी निर्दो-ा पक्षकार की कमजोरी से लाभ नहीं उठाना चाहिए और अपराध करने वाले पक्षकार को नहीं बहकाना चाहिए जिसे करने का अन्यथा पक्षकार प्रयास न करता । राज्य को किसी ऐसे अभिकथित अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दंडित नहीं करना चाहिए जो उसके अपने निजी कर्मचारियों की सृजनात्मक क्रियाकलाप का परिणाम है । उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इसका प्रयोग भारतीय संदर्भ में मीडिया को भी लागू हो सकता है । क्या आप उपरोक्त मताभिव्यक्ति से भी सहमत हैं कि स्टिंग आपरेशन का उस बात को कैद करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए जो पहले से ही चल रहा है और उत्प्रेरण कसौटी के माध्यम से व्यक्तियों की जांच-परख द्वारा उन्हें खोखला नहीं बनाया जाना चाहिए ।

11. 14 दिसम्बर, 2007 को दिए गए अपने निर्णय में दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्टिंग आपरेश्न का प्रसारण करते समय अपनाए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए और यह मत व्यक्त किया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रस्तावित विधि ï प्रसारण सेवा विनियमन

विधेयक, 2007 में उन सुझावों को इन मार्ग-दर्शक सिद्धांतों के अनुसार सम्मिलित करने पर विचार करे जो इस संबंध में दिए गए हैं :ï

1. किसी स्टिंग आपरेशन को प्रसारित करने का प्रस्ताव करने वाला चैनल ऐसे व्यक्ति से जिसने इसका ध्वन्यंकन या उत्पादन किया है, यह प्रमाणित करते हुए प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगा कि स्टिंग आपरेशन उसके ज्ञान से वास्तविक है ।

3. किसी स्टिंग आपरेशन को प्रसारित करने की अनुज्ञा सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति से अभिप्राप्त की जाए । उक्त समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय की परामर्श से सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाएगी और समिति में दो अन्य सदस्य होंगे जिसमें एक अपर सचिव की पंक्ति से अन्यून व्यक्ति और दूसरा अपर पुलिस आयुक्त होगा । स्टिंग आपरेशन प्रसारित करने की अनुज्ञा समिति द्वारा स्वयं का यह समाधान होने के पश्चात् दी जाएगी कि इसका प्रसारित किया जाना लोकहित में है । यह सुरक्षोपाय आवश्यक है क्योंकि वे व्यक्ति जो स्टिंग आपरेशन तैयार करते हैं, स्वयं प्रतिरूपण, मिथ्या बहाने के अधीन आपराधिक अतिचार और किसी व्यक्ति के प्रति अपराध करने का अपराध करते हैं ।

4. ध्वन्यालेखनों की प्रतिलिपि के संपादन के समय, स्वयं फिल्मों और टेपों का संपादन नहीं किया जाना चाहिए । संपादित और गैर-संपादित दोनों को समिति के समक्ष रखा जाए ।

7. चैनल के प्रधान संपादक को स्व-विनियमन और यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायी बनाया जाएगा कि कार्यक्रम नियमों से संगत है और चैनल पर प्रसारण की अंतर्वस्तु की बाबत विभिन्न कानूनों के अधीन अन्य सभी विधिक और प्रशासनिक अपेक्षाओं को पूरा करते हैं ।

8. रिपोर्ट और वर्तमान घटनाओं की वि-ाय-वस्तु को , (क) किसी असत्यापित या अनुचित तथ्यों को जानबूझ कर सत्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जिससे कि

मीडिया द्वारा विचारण से बचा जा सके क्योंकि ñव्यक्ति विधि द्वारा दो-ी सिद्ध किए जाने तक निर्दो-ा है ।ò

11. किसी समाचार आधारित/संबद्ध कार्यक्रम में एकान्तता का अतिलंघन एक संवेदनशील मुद्दा है ; इसलिए, चैनलों द्वारा किन्हीं ऐसे कार्यक्रमों का प्रसारण करते समय अधिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए जो व्यक्तियों की एकान्तता को भंग करता हो ।

12. किसी अपराध के अभी दो-ासिद्ध न हुए किसी व्यक्ति के विरुद्ध स्टिंग आपरेशन के माध्यम से आपराधिक क्रियाकलाप के साक्ष्य को कैद करने या इसे मुद्रित/इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशित करने से साक्ष्य में छेड़छाड़ करने या दबाने के अवसर में कमी हो सकती है । वहीं, ऐसे प्रकाशन की प्रवृत्ति ऐसे व्यक्ति को बदनाम करने की होती है जिसका बयान उपलब्ध नहीं है । क्या यह विधि द्वारा स्टिंग आपरेशन के प्रकाशन को विनियमित करने का दूसरा कारण हो सकता है?

13. क्या स्टिंग आपरेशन के अंतर्गत कोई अपराध या आहत बालक या किशोर अभियुक्त से संबंधित वीभत्स घटना आती है, स्टिंग आपरेशन से संबंधित मीडिया प्रचार पर कौन-कौन से निर्बंधन लगाए जाने चाहिए?

14. यह सुनिश्चित करने की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए कि प्राइवेट अस्तित्व द्वारा कलई खोलने या मीडिया द्वारा किए गए स्टिंग आपरेशन का उपयोग असम्यक् लाभ उठाने के लिए नहीं किया जाता है? इसके प्रसारण/प्रकाशन/विधारण को कौन विनियमित करेगा? किसके पास यह रहस्योद्घाटन रखा जाए? क्या किसी स्टिंग आपरेशन द्वारा संगृहीत सभी सामग्रियों के अनुज्ञा देने, मानीटर करने और अभिरक्षा में लेने का कोई स्वतंत्र कानूनी निकाय होना चाहिए?

पाद-टिप्पण **:** यह स्प-ट किया जाता है कि आयोग का स्टिंग आपरेशन के माध्यम से अभिप्राप्त सामग्री के सबूत के ढंग से संबंधित मुद्दों, उनके साक्ष्यिक मूल्य और ऐसे बचाव जो किसी विचारण में अभियुक्त के पास हो सकते हैं, पर विचार करने का इरादा नहीं है ।

..